राज्य निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा संस्था

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'इन्वेस्ट यूपी' को पेशेवर स्वरूप प्रदान हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की

- *निवेश प्रोत्साहन एवं निवेशक सुविधा के सहज एकीकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिभा सम्पन्न व पर्याप्त अनुभव वाले प्रोफेशनल्स को करेगी नियुक्त*
- *एजेंसी के निवेश प्रोत्साहन कार्यों का नेतृत्व करने के लिए एक मुख्य संचालन अधिकारी (चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर–सीओओ) को नियुक्त किया जाएगा*
- *प्रथम् चरण में उच्च योग्यता वाले पांच अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी*
- *दक्ष व कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए कुल 44 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी*

लखनऊ, 04 दिसम्बर 2020:

उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उठाए गए अनेक सफल कदमों के बाद **राज्य सरकार ने अपनी निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी – 'इन्वेस्ट यूपी' को पेशेवर स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।**

अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री आलोक कुमार ने कहा कि अपनी प्रकार के पहले उपाय के अन्तर्गत् राज्य सरकार ने निवेश प्रोत्साहन तथा निवेशक सुविधा सेवाओं के सहज एकीकरण के लिए पर्याप्त अनुभव के साथ व्यापार और प्रबंधन क्षेत्र से उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवर अधिकारियों (प्रोफेशनल्स) की नियुक्ति करने का निर्णय किया है।

श्री आलोक कुमार, जो 'इन्वेस्ट यूपी' के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य–सचिव भी हैं, ने सूचित किया– *"निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए सेवाओं की दक्षता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुल 44 पेशेवर अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। प्रथम् चरण में 'इन्वेस्ट यूपी' के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के मार्गदर्शन में एजेंसी के निवेश प्रोत्साहन कार्यों का नेतृत्व करने के लिए एक चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर (सीओओ) सहित* ***पांच*** *अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।"*

उन्होंने बताया कि चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति तथा कार्यमुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने उपरान्त की जाएगी। मा. मुख्यमंत्री जी नई संस्था 'इन्वेस्ट यूपी' के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

सीओओ की भांति, जिनको 15 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ टियर–1 भारतीय या वैश्विक संस्थान से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री–धारक होना चाहिए, **एक डिवीजन हेड, दो सेक्टर कलस्टर प्रमुखों** और **एक प्रबंधक–एनसीआर** के अन्य पदों के लिए भी उच्च शैक्षिक योग्यता व प्रतिभा और अनुभव का चयन मानदंड व अर्हता निर्दिष्ट की गई है।

उत्कृष्ट योग्यता व प्रतिभा तथा अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चयनित उम्मीदवारों को **बाजार संचालित पारिश्रमिक** प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को सहायता प्रदान करने और राज्य में निवेशोन्मुख वातावरण के सृजन के लिए विभिन्न विभागों और निवेशकों के मध्य इंटरफेस के रूप में एक समर्पित निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी–'इन्वेस्ट यूपी' की स्थापना की है। देश में समान प्रकृति के संगठनों के विपरीत, जो या तो निवेश को बढ़ावा देने या निवेश की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, 'इन्वेस्ट यूपी' निवेशकों को निवेश परियोजना के पूर्ण जीवन–चक्र में सहायता प्रदान करते हुए दोनों गतिविधियों का निष्पादन करती है।

————————